न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– विकास पंचोली (R.A.S.)

प्रकरण संख्याः – 17/2016 प्रार्थना पत्र

GCMS No. – 2016/00157

1. भमरू पिता वरदा कालबेलिया निवासी निवासी टाटरमाला हाल मुकाम कुरेठा तह० भदेसर जिला चित्तौडगढ राज०
2. नारू पिता वरदा जी जाति कालबेलिया निवासी टाटरमाला तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०

...प्रार्थीगण

बनाम

1. श्रीमति रतनी बेवा वेणीराम जी जाति कालबेलिया आयु वयस्क निवासी टाटरमाला हाल मुकाम सांवलिया जी तह० भदेसर जिला चित्तौडगढ राज०
2. श्री रमेश पुत्र वेणीराम जी जाति कालबेलिया आयु वयस्क निवासी टाटरमाला हाल मुकाम सांवलिया जी तह० भदेसर जिला चित्तौडगढ राज०
3. पुरण पुत्र वेणीराम जी जाति कालबेलिया आयु वयस्क निवासी टाटरमाला हाल मुकाम सांवलिया जी तह० भदेसर जिला चित्तौडगढ राज०
4. भगवान लाल पिता वेणीराम जी जाति कालबेलिया आयु वयस्क निवासी टाटरमाला हाल मुकाम सांवलिया जी तह० भदेसर जिला चित्तौडगढ राज०
5. पीरू पिता वेणीराम जी जाति कालबेलिया आयु वयस्क निवासी टाटरमाला हाल मुकाम सांवलिया जी तह० भदेसर जिला चित्तौडगढ राज०
6. शिवलाल पुत्र वेणीराम जी जाति कालबेलिया आयु वयस्क निवासी टाटरमाला हाल मुकाम सांवलिया जी तह० भदेसर जिला चित्तौडगढ राज०
7. जगदीश पुत्र वेणीराम जी जाति कालबेलिया आयु वयस्क निवासी टाटरमाला हाल मुकाम सांवलिया जी तह० भदेसर जिला चित्तौडगढ राज०
8. भागीरथ पुत्र वरदा जी जाति कालबेलिया आयु वयस्क निवासी टाटरमाला मृतक के बजाय

   8/1 सरसी बाई धर्मपत्नि भागीरथ जी जाति कालबेलिया आयु 65 वर्ष पेशा कृषि निवासी रामाखेडा तह० भुपाल सागर जिला चित्तौडगढ राज०

   8/2 हीरालाल पुत्र भागीरथ जी जाति कालबेलिया आयु 42 वर्ष पेशा कृषि निवासी रामाखेडा तह० भुपाल सागर जिला चित्तौडगढ राज०

   8/3 बालुराम पुत्र भागीरथ जी जाति कालबेलिया आयु 35 वर्ष पेशा कृषि निवासी रामाखेडा तह० भुपाल सागर जिला चित्तौडगढ राज०

   8/4 प्रकाश चन्द्र पुत्र भागीरथ जी जाति कालबेलिया आयु 24 वर्ष पेशा कृषि निवासी रामाखेडा तह० भुपाल सागर जिला [illegible] राज०

   8/5 केसर बाई पुत्री भागीरथ जी पत्नि [illegible] जी जाति कालबेलिया आयु 46 वर्ष पेशा कृषि निवासी रामाखेडा हाल मुकाम [illegible] जिला चित्तौडगढ राज०

   8/6 पारस बाई पुत्री भागीरथ जी पत्नि श्याम[illegible] जी जाति कालबेलिया आयु 38 वर्ष पेशा कृषि निवासी रामाखेडा हाल मुकाम कृषि उपज मण्डी, कपासन तह० कपासन जिला चित्तौडगढ राज०

   8/7 पेमा बाई पुत्री भागीरथ जी पत्नि कमलेश जी जाति कालबेलिया आयु 35 वर्ष पेशा कृषि निवासी रामाखेडा हाल मुकाम नंगावली तह० भदेसर जिला चित्तौडगढ राज०

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.10 16:03:18 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

8/8 श्रीमति मीरा बाई पुत्री भागीरथ जी पत्नि भेरूलाल जी जाति कालबेलिया आयु 27 वर्ष पेशा कृषि निवासी रामाखेडा हाल मुकाम दोलजी का खेडा तह० कपासन जिला चित्तौडगढ राज०

9. श्री छोगालाल पिता किशना जी जाति कालबेलिया आयु वयस्क निवासी टाटरमाला तह० निम्बाहेडा राज० मृतक के बजाय

9/1 श्रीमति मोहनी बाई बेवा स्व० छोगा जी जाति कालवेलिया उम्र 55 वर्ष निवासी इन्द्रा नगर (टाटरमाला) तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ

9/2 श्री भगवान लाल पिता स्व० छोगा जी जाति कालबेलिया उम्र 35 वर्ष निवासी इन्द्रा नगर (टाटरमाला) तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ

9/3 श्री बद्रीलाल पिता स्व० छोगा जी जाति कालबेलिया उम्र 33 वर्ष निवासी इन्द्रा नगर (टाटरमाला) तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ

9/4 श्री रतन लाल पिता स्व० छोगा जी जाति कालबेलिया उम्र 30 वर्ष निवासी इन्द्रा नगर (टाटरमाला) तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ

9/5 मु० नारू बाई पुत्री स्व० छोगा जी जाति कालबेलिया उम्र वयस्क निवासी इन्द्रा नगर (टाटरमाला) तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ

10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, निम्बाहेडा राज०।

विपक्षीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम– 1955</u>

उपस्थित :– 1– श्री आशाराम प्रजापत – अधिवक्ता प्रार्थीगण
2– श्री हरिश जयसवाल – अधिवक्ता विपक्षी संख्या 01 से 8
3– श्री नरेन्द्र वैष्णव – विपक्षी संख्या 9/1 से 9/5

:: निर्णय ::

दिनांक :– 19.09.2024

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि वाके मौजा इन्द्रानगर (टाटरमाला) में मूल आ०न0–444 रकबा 17 बीघा 11 बिस्वा स्थित है, जिसमें से 04 बीघा आराजियात प्रार्थीगण के पिता व विपक्षी सख्या–01 ता 07 के पिता, ससुर व दादा के नाम आंवटित की गई जिसके आ०न0–5111/444 व आ0न0–511/444 मीन बने जिसके नये आ0न0–575 रकबा 0. 0100 हे० व आ0न0–576 रकबा 1.0000 हे० कुल किता–02 कुल रकबा 1.0100 हे0 भूमि स्थित है।

2. वादग्रस्त आराजियात वाके मौजा इन्द्रानगर (टाटरमाला) में मूल आ०न0–444 रकबा 17 बीघा 11 बिस्वा स्थित है, जिसमें से 04 बीघा आराजियात प्रार्थीगण के पिता व विपक्षी सख्या–01 ता 07 के पिता, ससुर व द[illegible]म आंवटित की गई जिसके आ०न0–5111/444 व आ0[illegible] जिसके नये आ0न0–575 रकबा 0. 0100 हे० व आ0न0–576 [illegible] किता–02 कुल रकबा 1.0100 हे0 कुल लगानी–19.00 [illegible] 04 बीघा आराजी प्रार्थीगण के पिता व विपक्षीगण 01 ता 07 के दादा व ससुर [illegible]दा पिता भाना जी हुऐ जिनको राज्य सरकार द्वारा आंवटित की गई जिसका इन्तकाल नम्बर–71 भरा गया जो नकल जमाबन्दी सवत्–2019 से 2022 में दर्ज किया है। तथा इसी प्रकार राज्य सरकार द्वारा जरिये इन्तकाल नम्बर 68 द्वारा उक्त आ0न0–444 में से 03 बीघा 15 बिस्वा भूमि वरदा पिता गणेश जीकालबेलिया अन्य व्यक्ति के नाम से आंवटित हुई। साक्ष्य में नकल जामबन्दी पेश है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.10 16:03:18 IST
Reason: SelfAttested

3. प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या–01 से 07 के पिता व ससुर वरदा पिता भाना जी कालबेलिया का स्वर्गवास हो चुका है तथा प्रार्थीगण के पिता एवं विपक्षीगण 01 ता 07 के ससुर व दादा उक्त आंवटितशुदा 04 बीघा भूमि पर जहां सरकार द्वारा भूमि नाम कर सिपुर्द की गई, उसी जगह प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण 01 ता 07 के पिता व ससुर अपने जीवनकाल में काबिज चले आ रहे थे, व उनकी मृत्यु के बाद प्रार्थीगण उक्त 04 बीघा भूमि पर निरन्तर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है तथा प्रार्थीगण के पिता एवं विपक्षीगण 01 ता 07 के ससुर व दादा एवं प्रार्थीगण ने उक्त भूमि को समतल करवाया एवं कांटे पत्थर निकलवाये, हकाई जुताई काश्त योग्य कर आबाद करवाई तथा निरन्तर उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे है व काफी खर्चा किया व ककड़ पत्थर व वाडीया साफ करवाई तथा प्रार्थीगण के पिता एवं विपक्षीगण 01 ता 07 के ससुर व दादा ने अपने उक्त आराजियात को कृषि योग्य बनाने हेतु अपने जीवन की समस्त आय को उक्त जमीन को उपजाउ बनाने में लगा दी। आंवटित शुदा जमीन जो कि प्रार्थीगण के पिता एवं विपक्षीगण 01 ता 07 के ससुर व दादा के आ0न0–444 रकबा–17 बीघा 06 बिस्वा में से 04 बीघा आराजियात प्रार्थीगण के पिता एवं विपक्षीगण 01 ता 07 के ससुर व दादा को राज्य सरकार द्वारा भूमि आंवटित की गई तथा इसी आराजियात में से 03 बीघा 15 बिस्वा आराजियात वरदा पिता गणेश जी कालबेलिया को आंवटित की गई तथा नकल जमाबन्दी सवत्–2019 से 2022 की जमाबन्दी में इसका अंकन किया गया किन्तु राजस्व अधिकारीयो द्वारा बिना किसी आदेश के रोटेशन रकबा राज्य सरकार द्वारा उक्त भूमिआराजी नम्बर–444 में से 04 बीघा भूमि आंवटन होने के पश्चात् जब जमाबन्दी में नया रोटेशन सवत्–2022 से 2025 लिखते समय राजस्व अधिकारीयो द्वारा सहवन से उक्त आराजियात का अंकन सहवन से अन्य व्यक्ति वरदा पिता गणेश जी कालबेलिया के नाम रेकार्ड में दर्ज कर दी गई। जबकि उक्त आराजी में से वरदा पिता गणेश के मात्र 03 बीघा 15 बिस्वा भूमि ही आंवटित हुई जिसका इन्तकाल पृथक से खुला हुआ है, लेकिन राजस्व अधिकारी कर्मचारी की भूल से उक्त दोनो ही आंवटितशुदा भूमिया अकेले वरदा पिता गणेश कालबेलिया के नाम से दर्ज कर दी गई, जबकि 04 बीघा भूमि का अलग से अंकित प्रार्थीगण के पिता वरदा पिता भाना जी कालबेलिया के नाम दर्ज किया जाना चाहिये था व मौके पर भी प्रार्थीगण के पिता का कब्जा निरन्तर चला आ रहा था व उसके बाद प्रार्थीगण का कब्जा व बदस्तुर चला आ रहा है तथा उक्त आराजियात को वरदा पिता गणेश द्वारा अमरी पत्नी किशना जी जाति कालबेलिया ने आ0न0–511/404 को विक्रय विधि विरूद्ध तरीके से कर दी गई जो कि प्रार्थीगण के हक हिस्से के मुकाबले शुन्य है तथा उक्त दस्तावेज शुन्य होने से प्रार्थीगण व विपक्षीगण 01 ता 07 के द्वारा उक्त आराजियात को अपने पिता, ससुर व दादा की आराजियात होने से उक्त आराजियात को अपने नाम घोषित करा कर राजस्व रिकार्ड में अपने नाम इन्द्राज दुरूस्ती करा कर अपने नाम अमल दरामद कराने के अधिकारी है।

4. प्रार्थीगण व उसके पिता यही [illegible] बदस्तुर राजस्व रिकार्ड में आंवटन आदेशानुसार नियमित रूप से दर्ज [illegible] रही होगी तथा इस सम्बन्ध में कभी भी इस गलती का प[illegible] पिता विपक्षीगण 01 ता 07 को फसल मुआवजा नही [illegible] से जानकारी की तब जानकारी मिली की उक्त आराजियात [illegible] के नाम दर्ज नही होकर उक्त आराजियात विपक्षी सख्या–08 के पिता द्वारा वि[illegible] सख्या–09 की माता के नाम उक्त आराजियात को गलत तरीके से राजस्व कर्मचारीयो की गलती से विपक्षी सख्या–09 के नाम गलत दर्ज हो गई एवं उक्त आंवटित शुदा भूमि पर कभी विपक्षी सख्या–08 व 09 का कोई कब्जा किसी भी हैसियत से कभी नही रहा था तथा विपक्षी सख्या–08 व 09 आंवटनशुदा आराजी आ0न0–513/444 रकबा–03 बीघा 15 बिस्वा भूमि पर काबिज चला आ रहे है। इसलिये प्रार्थीगण के पिता व विपक्षी

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.10 16:03:18 IST
Reason: SelfAttested

सख्या–01 ता 07 के पति व ससुर व दादा की भूमि से किसी भी प्रकार से कोई सम्बन्ध सरोकार नही है और न ही उसका उक्त 04 बीघा पर कोई दखल या हस्तक्षेप रहा है। केवल मात्र राजस्व कर्मचारीयो वरदा पिता गणेश कालबेलिया का नाम दर्ज कर दिया गया क्योकि दोनो ही आवंटियो को समान नाम वरदा होने से भूलवश रोटेशन जब बदला तब भूमि वश गलत इन्द्राज हो गया है। जिससे प्रार्थीगण द्वारा उक्त दरस्तावेज राजस्व अधिकारीयो द्वारा प्राप्त होने बाद प्रार्थीगण को उक्त वाद पेश करने की नौबत आई है। इसलिये वादी उक्त इन्द्राज को सद्भावना पूर्वक दुरूस्त करवाने का अधिकारी है।

5. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षी क्रमांक 1 से 8 की ओर से अधिवक्ता श्री हरिश जयसवाल ने अधिकार पत्र पेश किया तथा जवाब प्रस्तुत नहीं करने से जवाब बन्द किया गया। विपक्षी क्रमांक 9 /1 से 9/5 की ओर से अधिवक्ता श्री नरेन्द्र वैष्णव ने अधिकार पत्र पेश कर जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि :–

I. वादग्रस्त आराजियात प्रार्थीगण के पिता व विपक्षी क० 1 से 7 के दादा व ससुर वरदी जी की खातेदारी व कब्जे काश्त की होना अस्वीकार है बल्की विपक्षीगण के खातेदारी व कब्जे काश्त की है इसलिए चरण स० 2 अस्वीकार हे। वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थीगण एवं विपक्षी क० 1 से 7 के पिता व ससुर का उनके जीवनकाल से कब्जा होने का तथ्य झुठा लिखा है स्वीकार नही है वादग्रस्त भूमि जिसके पुराने आराजी न0 511/444 रकबा 4 बिघा भूमि वरदा पिता गणेश जी कालबेलिया निवासी टाटरमाला तह० निम्बाहेडा की खातेदारी व कब्जे काश्त की थी ओर वरदा जी द्वारा उक्त आराजियात बिल एवज 50 हजार रूपये में अमरी पत्नी किशना जीकालबेलिया निवासी टाटरमाला को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 25.02.1993 से विक्रय कर मौके पर कब्जा सिपूर्द कर दिया तभी से उक्त आराजियात सन् 1993 से अमरी पत्नी किशना जी कालबेलिया की खातेदारी व कब्जे काश्त में चली आ रही थी और अमरी बाई प्रतिवादी क० 9 छोगालाल जी की माता थी जिनका देहान्त को गया है और अमरी बाई के देहान्त के बाद उक्त भूमि विरासत से प्रतिवादी क० 9 छोगालाल के राजस्व रेकार्ड में दर्ज हुई तभी से छोगालाल जी का कब्जा चला आ रहा है और छोगालाल जी का देहान्त दिनांक 22.01.2017 को गया है और छोगालाल जी के देहान्त के बाद उक्त भूमि उनके वारिसान नारंगी बाई, ब्रदीलाल, भागीरथ, रतनलाल, पिसराज छोगालाल व मोहनी बाई बेवा छोगालाल के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज चली आ रही है और उक्त भूमि पर सन् 1993 से पूर्व से विपक्षीगण का मोके पर शांतिपूर्ण तरीके कब्जा चला आ रहा है तथा उक्त भूमि विपक्षीगण की दादी व सास द्वारा सन् 1993 में खरीदने के बाद उक्त भूमि जो पूर्व में पथरीली थी जिस मेसे पत्थर 'निलकवाये काबिल काश्त कराई मिट्टी डलवाई और खाद्य डालकर उपजाउ बनाई तथा उक्त भूमि पर चाह खुदवाया उसे गहरा करवाया तथा उक्त चाह पर विद्युत कनेक्शन सन् 2015 में करवाया तभी से उक्त चाह पर विद्युत मोटर सन् 2015 से [illegible] हुई है उक्त चाह से विपक्षीगण अपने खातेदारी व कब्जे काश्त की [illegible] की सिंचाई करते चले आ रहे है और उपयोग उपभोग [illegible] भूमि पर विपक्षीगण के दादा का सन 2006 में [illegible] भूमि पर किशना जी की समाधि पक्की बनी हुई है तथा अमरी बाई व छोगा[illegible] की भी समाधि उक्त आराजी पर बनी हुई है तथा विपक्षीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की वादग्रस्त आराजियात न0 575 व 576 के पडोस पूर्व में रास्त पश्चिम में शिवा पिता चूना कालबेलिया की जमीन आराजी न0 578 उत्तर में अमरा जी मेघवाल की आराजी दक्षिण में अम्बालाल गमेती की आराजी उक्त चारो पडौसों के बिच की भूमि पर विपक्षीगण का वक्त खरीद से सन् 1993 से 31 वर्षो से अधिक समय से शांतिपूर्ण तरीके से कब्जा चला आ रहा है। उक्त 31 वर्षो में वादग्रस्त आराजियात पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.10 16:03:18 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण का किसी हैसियत से कोई कब्जा कभी नही रहा है। इस प्रकार चरण स० 3 सम्पूर्ण रूप से अस्वीकार है।

II. वादग्रस्त पुराने आराजी न0 511/444 रकबा 4 बिघा भूमि जिसके नवीन आराजी न० 575 रकबा 0.0100 हेक्टर गे.मू. चाह व आराजी न0 576 रकबा 1.0000 हेक्टयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.0100 हेक्टयर वरदा पिता गणेश जी कालबेलिया निवासी टाटरमाला तह० निम्बाहेडा की खातेदारी व कब्जे काश्त की थी ओर वरदा जी द्वारा उक्त आराजियात बिल एवज 50 हजार रूपये में अमरी पत्नी किशना जी कालबेलिया निवासी टाटरमाला को रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 25.02.1993 से विक्रय कर मौके पर कब्जा सिपूर्द कर दिया तभी से उक्त आराजियात सन् 1993 से अमरी पत्नी किशना जी कालबेलिया की खातेदारी व कब्जे काश्त में चली आ रही थी और अमरी बाई प्रतिवादी क० 9 छोगालाल जी की माता थी जिनका देहान्त सन् 2007 में हो गया है और अमरी बाई के देहान्त के बाद उक्त भूमि विरासत से प्रतिवादी क० 9 छोगालाल के राजस्व रेकार्ड में दर्ज हुई तभी से छोगालाल जी का कब्जा चला आ रहा है और छोगालाल जी का देहान्त दिनांक 22.01.2017 को गया है और छोगालाल जी के देहान्त के बाद उक्त भूमि उनके वारिसान नारंगी बाई, ब्रदीलाल, भागीरथ, रतनलाल, पिसराज छोगालाल व मोहनी बाई बेवा छोगालाल के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज चली आ रही है। इसलिये प्रार्थीगण विपक्षीगण की दादा अमरी बाई के पक्ष किये गये विक्रय पत्र सन् 1993 को शून्य घोषित कराने के अधिकारी नही है। प्रार्थीगण का कोई कब्जा किसी हैसियत से वादग्रस्त भूमि पर वर्षो में कभी नही रहा है इसलिय प्रार्थीगण उक्त भूमि को अपने नाम घोषित कराने के अधिकारी नही है।

III. उक्त चरण में वर्णित तथ्य गलत है स्वीकार नही है। प्रार्थीगण के पिता वरदा पिता भाना जी कालबेलिया कभी भी टाटरमाला में नही रहे वरदा पिता भाना शुरू से ग्राम कुरेठा तह० भदेसर में निवास करते चले आ रहे थे जिनका कुरेठा में ही देहान्त हुआ है और उक्त सम्पति पर वरदा पिता भाना का कोई कब्जा किसी हैसियत से नही रहा है उक्त सारे तथ्यों की जानकारी प्रार्थीगणों शुरू से चली आ रही है। उक्त चरण में वर्णित सभी तथ्य गलत लिखे है स्वीकार नही है। उक्त भूमि को प्रार्थीगण किसी प्रकार से अपने नाम घोषित कराने के व इन्द्राज दुरूस्त कराने के अधिकारी नही है।.

IV. वादग्रस्त आराजियात की सभी जानकारी प्रार्थीगणों से शुरू से चली आ रही है प्रार्थीगण व प्रार्थीगण के पिता शुरू से ग्राम कुरेठा में ही निवास कर रहे है तथा वरदा पिता भाना कालबेलिया नाम का कोई व्यक्ति कभी ग्राम टाटरमाला तह० निम्बाहेडा कभी निवासरत नही रहा इसलिये प्रार्थीगण विपक्षीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयत [illegible] किसी प्रकार से [illegible] दुरूस्त कराने के अधिकारी नही है। प्रार्थीगण व विपक्षी क० 1 [illegible] भूमि को अपने नाम घोषित कराने के अधिकारी नही है [illegible] पिता [illegible] द्वारा विपक्षीगण के दादा अमरी बाई के पक्ष में [illegible] विकय पत्र को शुन्य व निषप्रभावि घोषित कराने के [illegible] प्रार्थीगण का कोई कब्जा नही है। इसलिए चरण स० 7 अस्वीकार है।यह कि [illegible]र्थना पत्र की चरण स० ४ का उत्तर यह कि उक्त चरण में वर्णित तथ्य गलत है स्वीकार नही है। वादग्रस्त भूमि सन 1993 से विपक्षीगण के खातेदारी व कब्जे काश्त में चली आ रही है जिसका उपयोग उपभोग करने का विपक्षीगण को पूर्ण अधिकार प्राप्त है विपक्षीगण वादग्रस्त भूमि सदभाविक केता है इसलिए प्रार्थीगण विपक्षीगण के विरूद्ध किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित कराने के अधिकारी नही है।

सहायक कलक्टर निम्बाहेडा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.10 16:03:18 IST
Reason: SelfAttested

उक्त चरण में वर्णित तथ्य गलत है स्वीकार नही है। मौके पर विपक्षीगण का अपनी खातेदारी व कब्जे काशत की आराजियात पर सन 1993 से शांतिपूर्ण तरीके से कब्जा चला आ रहा है प्रार्थीगण का कोई कब्जा नही है इसलिए प्रार्थीगण का कोई प्रथम दृष्टिया प्रकरण नही सुविधा का संतुलन भी विपक्षीगण के पक्ष में हे तथा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने की सुरत में अपूर्णिय क्षति भी विपक्षीगणों को होगी। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा सहीत खारीज फरमाया जावें।

5. बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई एवं वकील प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 9/1 से 9/5 के अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई। प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने का निवेदन किया तथा विपक्षी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज किए जाने का निवेदन किया ।

6. वभिन्न न्यायिक दृष्टांतो का अध्ययन किया जो कि निम्नानुसार है:-

i. नसीब कौर बनाम रामेश्वरी देवी व अन्य आर.आर.टी 2016(2) 1144
ii. कमलेश बनाम रणजीत सिंह व अन्य आर.आर.टी 207(1) 259

7. उपर्युक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा 212 के आलोक में सर्वप्रथम अस्थाई निषेधाज्ञा के कानूनी बिन्दुओं विश्लेषण प्रकरण के तथ्यों के मद्देनजर आवश्यक प्रतीत होता है। किसी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष सिद्ध करने हेतु तीन महत्वपूर्ण व अपरिहार्य बिन्दु है जिनका विशलेषण इस प्रकार है-

1. <u>प्रथम दृष्टया मामला</u>- हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थना पत्र में वर्णित वादग्रस्त भूमि वाके मौजा इन्द्रा नगर प०ह० मिन्नाणा तह० निम्बाहेडा की खाता संख्या 9 की आराजी नं० 575 रकबा 0.0100 हे० व आराजी नं0 576 रकबा 1.0000 हे० कुल किता 02 कुल रकबा 1.0100 हे0 कुल लगानी-19.00 पैसे स्थित है उक्त वादग्रस्त भूमि विपक्षी क्रमांक 9/1 से 9/5 के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है तथा उक्त भूमि पर विपक्षीगण का वक्त खरीद से सन् 1993 से 31 वर्षों से अधिक समय से शांतिपूर्ण तरीके से कब्जा चला आ रहा है उक्त चाह से विपक्षीगण अपने खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजियात की सिंचाई करते चले आ रहे है जिसकी साक्ष्य मे विद्युल बिल वर्तमान जमाबंदी की सत्यप्रति, मिलान क्षेत्रफल, व नामांतरण संख्या 263 जो वरदा पिता गणेश कालबेलिया से अमरी पत्नी किशना कालबेलिया के नाम विक्रय पत्र से [illegible] दर्ज हुआ तथा संवत् 2023 से 2026 की जमाबंदी व संवत् 2057 से [illegible] पुरानी जमाबंदी पेश की जिसमें भूमि वरदा पिता गणेश [illegible] के [illegible] तथा संवत् 2059 से 2062 की जमाबंदी अमरी [illegible] आराजी नं० 511/404 रकबा 4 बीघा दर्ज [illegible] जमाबंदी संवत् 2077 से 2080 में आराजी नं0 575 व 576 विपक्षी नं0 9 के [illegible]रिसान नारंगीबाई, बद्रीलाल, भागीरथ, मोहनी व रतनलाल के नाम दर्ज रेकार्ड है की प्रति पेश की है तथा कब्जे के संबंध में वादग्रस्त जमीन के पडोसियान के शपथ पत्र पेश किये गये है व मौके के फोटोग्राफस पेश किये गये, उक्त समस्त दस्तावेजात से विपक्षीगण का प्रथम दृष्टया प्रकरण साबित कराया हैं इसलिए प्रार्थीगण विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से कानून रूप से पाबन्द कराने की अधिकारी नहीं है। वादग्रस्त भूमि के खातेदार विपक्षी संख्या 9/1 से 9/5 उक्त भूमि के रकार्डेड खातेदार है जिनको

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.10 16:03:18 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं बनता है।

2. **अपूरर्णीय क्षति**– किसी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रकरण सिद्ध करने हेतु विवादित आराजी पर प्रार्थी का कब्जा होना व खातेदारी में दर्ज होना तथा साबित कराना प्रथम दृष्टया आवश्यक है परन्तु प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजियात पर अपना कब्जा होने का तथ्य साबित कराने में असमर्थ रहे है तथा अस्थाई निषेधाज्ञा के अभाव में प्रार्थीगण को अपूरर्णीय क्षति होना द्वितीय शर्त है। प्रकरण के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि वरदा पिता गणेश जी कालबेलिया निवासी टाटरमाला तह० निम्बाहेडा की खातेदारी व कब्जे काश्त की थी ओर वरदा जी द्वारा उक्त आराजियात बिल एवज 50 हजार रूपये में अमरी पत्नी किशना जी कालबेलिया निवासी टाटरमाला को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से विक्रय कर मौके पर कब्जा सिपूर्द कर दिया, अमरी बाई के देहान्त के बाद उक्त भूमि विरासत से विपक्षी सं० 9 छोगालाल के राजस्व रेकार्ड में दर्ज हुई तभी से छोगालाल जी का कब्जा चला आ रहा है और छोगालाल जी का देहान्त को गया है और छोगालाल जी के देहान्त के बाद उक्त भूमि उनके वारिसान नारंगी बाई, ब्रदीलाल, भागीरथ, रतनलाल, पिसराज छोगालाल व मोहनी बाई बेवा छोगालाल के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज चली आ रही है और उक्त भूमि पर सन् 1993 से पूर्व से विपक्षीगण का मोके पर शांतिपूर्ण तरीके कब्जा चला आ रहा है उक्त 31 वर्षो में वादग्रस्त आराजियात पर प्रार्थीगण भमरु व नारु पिता वरदा कालबेलिया का किसी हैसियत से कोई कब्जा कभी नही रहा है। इस प्रकार प्रार्थीगण अपना प्रथम दृष्ट्या प्रकरण साबित कराने मे पूरी तरह से असफल रहे है मौके पर विपक्षीगण का कब्जा चला आ रहा है इसलिए सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष मे किसी प्रकार से साबित नही होता है बल्कि विपक्षीगण का, प्रथम दृष्ट्या प्रकरण साबित होने से सुविधा का संतुलन विपक्षीगण के पक्ष में हैं इसलिए प्रार्थीगण को किसी प्रकार की कोई अपूर्णिय क्षति होने की कोई संभावना नही है तथा उक्त वादग्रस्त आराजियात विपक्षी क्रमांक 9/1 से 9/5 के नाम खातेदारी में दर्ज चली आ रही है इसलिए रेकार्डेडे खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतीत नहीं होने से अपूरर्णीय क्षति विपक्षीगण के पक्ष में होने से प्रार्थीगण को विवादित आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा के अभाव में कोई अपूरणीय क्षति नहीं होना साबित होता है।

3. **सुविधा का संतुलन** :– किसी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रकरण सिद्ध करने हेतु विवादित आराजी पर प्रार्थी के पक्ष में सुविधा का संतुलन का झुकाव होना तृतीय शर्त है। विवादित आराजी में प्रार्थीगण द्वारा अपना कब्जा साबित कराने मे असफल रहे हैं, जबकि मौके पर विपक्षीगण का वक्त खरीद से सन् 1993 से लगातार बिना किसी बाधा के शांति पूर्ण तरीके से कब्जा चला आ रहा है और उक्त भूमि विपक्षीगण की खातेदारी में चली आ रही है जिसकी ताईद वर्तमान जमाबंदी से होती है तथा पडोसीयान के शपथ पत्र से विपक्षीगण का मौके पर शांतिपूर्ण तरीके से कब्जा चला आ रहा है और [illegible] मक्का व सोयाबीन की फसल खडी है विद्युत बिल जो विपक्षी[illegible] पिता छोगा पिता किशना कालबेलिया के नाम का पेश किया हैं, जिससे मौके पर विपक्षीगण का शांतिपूर्ण तरीके से कब्जा चला आ रहा हैं और उक्त सभी साक्ष्य से विपक्षीगण का कब्जा पूर्णतया साबित है इसलिए प्रार्थीगण अपना प्रथम दृष्ट्या प्रकरण साबित कराने मे पूरी तरह से असफल रहे है मौके पर विपक्षीगण का कब्जा चला आ रहा है इसलिए सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष मे किसी प्रकार से साबित नही होता है। प्रथम दृष्टया मामला एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं होने से सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं बनता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.10 16:03:18 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
निम्बाहेडा

7. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 212 के आलोक में अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन महत्वपूवर्ण कानूनी बिन्दुओं को विश्लेषण किया। तीनों बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं होते है। पत्रावली के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि विपक्षी क्रमांक 9/1 से 9/5 की खातेदारी में दर्ज होकर चली आ रही है । प्रथम दृष्टया मामला एवं अपूरणीय क्षति एवं सुविधा का संतुलन बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं हुए हैं तथा उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र साबित नहीं होने से खारिज योग्य है।

–:आदेश:–

पत्रावली का अवलोकन किया गया पक्षकारान के लायक अभिभाषकगण की बहस पर गोर किया। प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित हो रहे है प्रार्थिगण के पक्ष मे प्रथम दृष्टिया प्रकरण और सुविधा का सन्तुलन भी नहीं पाया गया अतः प्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का हकदार नहीं है प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है। यह प्रार्थना पत्र हक अधिकार का अंतिम निधारण नही करता है हक अधिकार का प्रश्न वाद शहादत मूल वाद मे तय होगा खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 19.09.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलक्टर (राज.) निम्बाहेड़ा–जिला चित्तौड़गढ़

(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा
सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.10 16:03:18 IST
Reason: SelfAttested